

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

(223/1, सिविल लाइन, मेरठ-250001)

पत्रांक- 3289 /14-1, दिनांक, मेरठ, 10 फरवरी, 2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई सं0-09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए0कै0जी0 इंजीनियरिंग कॉलेज गंग नहर तक) (बांयी पटरी) के कि0मी0 27.500 से कि0मी0 33.350 रा0रा0 सं0-709 बी0 दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट कैनरा बैंक, लोनी तक) (बायी पटरी) के कि0मी0 15.600 से कि0मी0 16.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-709 बी0 दिल्ली-बागपत रोड (चौधरीयव सिंह द्वार के सामने से निकट आवास-विकास परिषद ऑफिस, मंडोला गाजियाबाद तक) (बांयी पटरी) के कि0मी0 19.300 से कि0मी0 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 कि0मी0 एवं 0.4575 हे0 संरक्षित वन भूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रैच/एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 एम0एम0 व्यास की एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-FP/UP/PIPELINE/150710/2021)

संदर्भ- 1-उ0प्र0 शासन का शासनादेश संख्या भा0सं0-115/81-2-2022-800(262)/2022 वन अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 12.09.2022।

2-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद का पत्रांक 3050/14-1, दिनांक 02.02.2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद ने अपने संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि FCA Guideline के Clause सं0-42 के क्रम में इन्द्रप्रस्थ गैस लिए के एच0ओ0डी0 के पत्रांक-IGL/PIPELINE/WEST/UP/GHAZIABAD/FOREST/01 Dt. 27.01.2023 द्वारा अवगत कराया है कि खोदी गई ट्रैच के साईज की गहराई और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा सम्पूर्ण कार्य बिना वृक्ष पातन के एन0एच0ए0आई0 को हस्तान्तरित उपरोक्त सड़क मार्गों (मार्गों की पटरियां जो की संरक्षित वन घोषित हैं) के किनारे अधिकारिक क्षेत्र (Within The Existing Row of NHA) में किया जाना प्रस्तावित है। (प्रति संलग्न)

1- प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल किसी सेन्चुरी/नैशनल पार्क का हिस्सा नहीं है।

2- एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रेषित सड़क का Row संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आप से अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

पत्रांक 3289 / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।



Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfoggzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 3050/14-1, दिनांक, गाजियाबाद 2 फरवरी, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषय: जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-24 (नई सं०-09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए०के०जी० इंजीनियरिंग कॉलेजसे गंग नहर तक) दांयी पटरी) के कि०मी० 27.500 से कि०मी० 33.350, रा०रा० सं०-709 बी० दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट कैनरा बैंक, लोनी तक) (बांयी पटरी) के कि०मी० 15.600 से कि०मी० 16.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-709 बी दिल्ली-बागपत रोड (चौधरीयव सिंह द्वार के सामने से निकट आवास-विकास परिषद ऑफिस, मंडोला गाजियाबाद तक) (बांयी पटरी) के कि०मी० 19.300 से कि०मी० 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 कि०मी० एवं 0.4575 हे० संरक्षित वन भूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रेंच/एच०डी०डी० तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 एम.एम. व्यास की एम०डी०पी०ई० गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०-FP/UP/PIPELINE/150710/2021 दिनांक 01.01.2022)

संदर्भ:- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-भा०स०-115/81-2-2022-800 (262)/2022 वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि FCA Guideline के Clause सं०-4.2 के क्रम में इन्द्रप्रस्थ गैस लि० के एच०ओ०डी० के पत्रांक-IGL/PIPELINE/WEST/UP/GHAZIABAD/FOREST/01 Dt. 27-01-2023 द्वारा अवगत कराया है कि खोदी गई ट्रेंच का साईज की गहराई और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा सम्पूर्ण कार्य बिना वृक्ष पातन के एन०एच०ए०आई० को हस्तान्तरित उपरोक्त सड़क मार्गों (मार्गों की पटरियां जो की संरक्षित वन घोषित हैं) के किनारे अधिकारिक क्षेत्र (Within The Existing Row of NHAI) में किया जाना प्रस्तावित है। (प्रति संलग्न)

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल किसी सेन्चुरी/नैशनल पार्क का हिस्सा नहीं है।
3. एन०एच०ए०आई० द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित सड़क का Row संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक- 3050/14-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

I/211857/2022

संख्या-भा0 स0-115/81-2-2022-800(262)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर 2022

विषय- जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत रा0रा0 संख्या-24 (नई 09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए0के0जी0 इंजीनियरिंग कालेज से गंग नहर तक) (दांयी पटरी) के किमी0 27.500 से किमी0 33.350 रा0रा0 संख्या-709 बी दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कालेज के सामने से निकट केनरा बैंक, लोनी तक) (बांयी पटरी) के किमी0 15.600 से किमी0 16.000 एवं रा0रा0 संख्या-709 बी दिल्ली-बागपत रोड (चैधरीयव सिंह द्वारा के सामने से निकट आवास-विकास परिशद आफिस, मंडोला, गाजियाबाद तक) (बांयी पटरी) के किमी0 19.300 से किमी0 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 किमी0 एवं 0.4575 हे0 संरक्षित वनभूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रैन्च/एच0डी0डी0 तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 ए0एम0 व्यास की एम0डी0पी0ई0 गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/150718/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या-8 बी/यूपी/09/249/2022/एफसी/450 दिनांक 02.09.2022 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक में की गई अपेक्षानुसार समस्त बिन्दुओं FCA Guideline के Clause संख्या-4.2 के अनुसार प्रस्ताव के अर्हता एवं RoW के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 12-09-2022 10:49:56

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव।



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref.: - IGL/PIPELINE/WEST/UP/GHAZIABAD/FOREST/01

Date: - 27-01-2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय: जनपद गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24(नई संख्या-09) दिल्ली-लखनऊ रोड (ए0के0जी0 इंजीनियरिंग कॉलेज से गंग नहर तक) (दायीं पटरी) के कि.मी. 27.500 से कि.मी. 33.350, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709बी दिल्ली-बागपत रोड (लोनी इंटर कॉलेज के सामने से निकट कैनरा बैंक, लोनी तक) (बायीं पटरी) के कि.मी. 15.600 से कि.मी. 16.000 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709बी दिल्ली-बागपत रोड (चौधरीयव सिंह द्वार के सामने से निकट आवास-विकास परिषद ऑफिस, मंडोला, गाजियाबाद तक) (बायीं पटरी) के कि.मी. 19.300 से कि.मी. 22.200 तक कुल लम्बाई 9.15 कि.मी. एवं 0.4575 हे0 संरक्षित वन भूमि तक सड़क के किनारे ओपन ट्रेंच/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से भूमिगत 125 एमएम व्यास की एम0डी0पी0ई0 गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या : FP/UP/Pipeline/150710/2021, dated 01/01/2022।

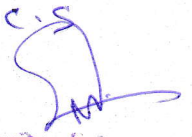
सन्दर्भ: आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0, दिनांक- 20.12.2022 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक सं0- 8बी/यू0पी0/09/249/2022/एफ.सी./450, दिनांक- 02.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक सं0- 849/11सी- FP/UP/Pipeline/150710/2021, लखनऊ दिनांक- 05.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में स्पष्ट कराना है कि गैस पाइप लाइन बिछाने का संपूर्ण कार्य बिना वृक्ष पातन के एन0एच0आ0ई0 को हस्तांतरित उपरोक्त सड़क मार्गों (मार्गों की पटरियों जो कि संरक्षित वन घोषित हैं) के किनारे के आधिकारिक क्षेत्र (Within The Existing RoW of NHAI) में किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि खोदी गयी ट्रेंच के साइज की गहराई 2.0 मीटर और चौड़ाई 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगी एवं प्रस्तावित स्थल किसी सेन्चुरी/नेशनल पार्क का हिस्सा न होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

एन0एच0आ0ई0 के स्वामित्वता वाले उपरोक्त सड़क मार्गों के RoW Boundary from Centre of Road की प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आप से निवेदन है कि प्रस्ताव के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करने की कृपा करें।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजियाबाद।

भवदीय,
कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
SATENDRA KUMAR PAL
HOD (Projects)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
"IGL BHAWAN", PLOT NO. 4
COMMUNITY CENTRE, SECTOR-9, R.K. PURAM
NEW DELHI-110 022
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022
Phone : 46074607 Fax : 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN : L23201DL1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001 : 2007 Certified Organisation

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गाजियाबाद

Project Implementation Unit, Ghaziabad

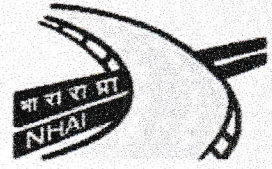
सी-एचए फ्लाईओवर के नीचे, कि. मी. 2+000 एच एच - 9, (पुराना एच एच-24), अक्षधाम मंदिर के निकट, दिल्ली-110092
Under CHG Flyover, at Km. 2+000 of NH-9 (Old NH-24), Near Akshardham Temple, Delhi-110092

टेलीफोन : +91 9560963936

ई-मेल : gha@nhai.org

E-mail : nh24ghaziabad@gmail.com

वेबसाइट : www.nhai.gov.in



दिनांक 28.01.2023

भाराराप्रा/पीआईयू-गाजियाबाद/2023/हि-86

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,

वन प्रभाग,

जनपद-गाजियाबाद।

विषय: जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 की सड़कों की भूमि सीमा (ROW) के संबंध में।

महोदय,

जनपद-गाजियाबाद के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 की सड़कों की भूमि सीमा (ROW) निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	राजमार्ग	किमी०	भूमि सीमा (ROW) (m)
1.	रा0रा0-24 (नया.रा0रा0-09)	किमी० 8.00 से किमी० 28.00	90 m.
		किमी० 28.00 से किमी० 35.00	45 m.
2.	रा0रा0-709बी	किमी० 10.911 से किमी० 25.00	30 m.
3.	दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे खण्ड-4	किमी० 28.00 से किमी० 50.00 तक	90 m.

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक
राजमार्ग वनिकी प्रभाग
गाजियाबाद।

अरविन्द
28.01.23
(अरविन्द कुमार)
परियोजना निदेशक